2011:CGHC:527

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ : माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक-1693/2007

याचिकाकर्ता जवाहरलाल चंद्राकर

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

दिनांक 17 जून, 2011 को सूची बद्ध करें ।

सही/-
मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

2011:CGHC:527

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

(एकल पीठ : माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक -1693/2007

याचिकाकर्ता जवाहरलाल चंद्राकर

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत जयसवाल सहित अधिवक्ता श्री सैफ खान उपस्थित।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 की ओर से श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता ।

उत्तरवादी संख्या 6 की ओर से कोई नहीं।

आदेश

(17.06.2011 को पारित)

1. भारत के संविधान की धारा 226 के अंतर्गत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषो की मांग की है :

> "7.1 उपर्युक्त याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय से अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता है कि मामले के संपूर्ण अभिलेख मंगवाए जाएं।
>
> 7.2 उपर्युक्त याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता है कि वह अनुलग्नक पी/6 तथा अनुलग्नक पी/8 में निहित आदेशों को अभिखंडित करने हेतु उत्प्रेषण रिट जारी करे।
>
> 7.3 याचिकाकर्ता अत्यंत विनम्रतापूर्वक और आदरपूर्वक माननीय न्यायालय से परमादेश रिट जारी करने और याचिकाकर्ता को खनन पट्टा जारी रखने की अनुमति देने के लिए प्रत्यर्थी को उचित निर्देश दिए जाने की कृपा करें ।

7.4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार जो भी अन्य अनुतोष उपयुक्त हो, वह भी याचिकाकर्ता को प्रदान की जाऐ।"

2. इस याचिका को जन्म देने वाली घटनाओं की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्ता ने महासमुंद जिले के घोडारी गांव में स्थित एक क्षेत्र में चूना पत्थर की खदान के पट्टे के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन पर, याचिकाकर्ता को 24.12.1997 के पट्टा विलेख (अनुलग्नक पी-3) के माध्यम से दिनांक 1.1.1998 से दिनांक 31.12.2008 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए खनन पट्टा प्रदान किया गया था।

3. जब राज्य सरकार और कलेक्टर के संज्ञान में यह आया कि महानदी के तट पर, निषिद्ध क्षेत्र में, कई खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं, जिससे गौण खनिज नियम, 1996 (जिसे आगे "1996 के नियम" कहा गया है) के नियम 5 (2) (घ) में निहित प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, तो आवश्यक जांच के बाद, कलेक्टर ने यह पाया कि महासमुंद जिले के घोडारी, बरबासपुर और मुडेना गांवों में 18 खनन पट्टे प्रदान करना, 1996 के नियमों के नियम 5 (2) (घ) में निहित सांविधिक प्रावधान का उल्लंघन था, और उन्होंने ऐसे सभी पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही की। चूंकि याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया पट्टा भी निषिद्ध क्षेत्र में था, इसलिए याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया पट्टा भी निरस्त कर दिया गया। कुछ पट्टाधारकों ने संचालक खनिज के समक्ष अपील दायर की। इस बीच, जिन लोगों के खनन पट्टे निरस्त किए गए थे, उनमें से कुछ ने राज्य सरकार से संपर्क किया और उसे इस बात से अवगत कराया गया कि इस क्षेत्र में 40 वर्षों से अधिक समय से खनन पट्टे चल रहे थे। इसके अलावा, खानों की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में कई कटिंग और पॉलिसिगं उद्योग भी स्थापित हो गए थे और पट्टा निरस्त होने के परिणामस्वरूप, क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार और आजीविका की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया और प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए, 1996 के नियमों के नियम 58 के तहत प्रदान की गई स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए, उन मामलों में नियमों में ढील देने का निर्णय लिया, जहां पट्टा निरस्त किया गया था, और 1996 के नियमों के नियम 66 के तहत प्रदान करने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे सभी मामलों को विशेष श्रेणी मानते हुए खनन की अनुमति दी, जैसा कि दिनांक 14 मई, 2011 के अपने आदेश (अनुलग्नक पी-4) में कहा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य सरकार के आदेशानुसार, याचिकाकर्ता को पट्टा दिया गया था, हालांकि नवीनीकरण के किसी अधिकार के बिना और केवल 31 दिसंबर, 2005 तक, पूरक पट्टा (अनुलग्नक पी-5) याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया था। पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद, यानी 31.12.2005 को, याचिकाकर्ता ने पट्टा देने/पट्टे के नवीनीकरण के लिए पुनः आवेदन किया, जिसे कलेक्टर ने दिनांक 19.12.2005 के विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-6) द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध दायर अभ्यावेदन पर, राज्य सरकार ने दिनांक 7.12.2006 के अपने आदेश (अनुलग्नक पी-8) द्वारा इसे खारिज कर दिया। जिस के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का रुख किया है।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि समान याचिका संख्या 3882/06 (*रामाश्रय यादव और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य*) और इसी प्रकार की रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5333/06 (*सरिता*

बाफना बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य) में इस न्यायालय ने यह अभीनिर्धारित किया है कि खनिज रियायत नियम, 1960 (जिसे आगे "1960 के नियम" कहा गया है) के नियम 26 के उप-नियम (1) के अनुसार, खनन पट्टे के नवीनीकरण से इनकार करने से पहले, राज्य सरकार को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि केवल 1960 के नियमों के नियम 26 (1) में निहित प्रावधान के उल्लंघन के आधार पर, क्योंकि सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, याचिकाओं को स्वीकार किया गया है। उनके तर्क के अनुसार कि याचिकाकर्ता का मामला ***रामाश्रय यादव और सरिता बाफना*** (*पूर्वित*) के मामलों से पूरी तरह से मिलता-जुलता है।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कलेक्टर ने याचिकाकर्ता के पट्टे के नवीनीकरण के आवेदन को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही अस्वीकार कर दिया है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि 1960 के नियमों के नियम 26 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार याचिकाकर्ता कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर पाने का हकदार था। इसके बाद यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई है, क्योंकि कई अन्य मामलों में पट्टा जारी रखा गया है, जबकि याचिकाकर्ता के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। एक ही समान परिस्थितियों में होने के बावजूद याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि कलेक्टर ने आवेदन अस्वीकार करते समय कोई कारण दर्ज नहीं किया है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक पी-9 में प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनो के मद्देनजर, पारिस्थितिक संतुलन को कोई खतरा नहीं है और इसलिए, अधिकारियों के समक्ष वही स्थिति थी, जिसके आधार पर दिनांक 14.5.2001 का आदेश (अनुलग्नक पी-4) पारित किया गया था और इसलिए प्राधिकारी को अपनी छूट प्रदान करने की शक्ति का पुनः प्रयोग करके याचिकाकर्ता को पट्टा संचालन जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि कलेक्टर ने दिनांक 19.12.2005 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-6) द्वारा नवीनीकरण के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था, अनुलग्नक पी-7 में प्रस्तुत आदेशों द्वारा समय-समय पर पट्टा की अवधि मे वृद्धि की गई थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पट्टा नवीनीकरण के आवेदन को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **रामाश्रय यादव और सरिता बाफना** (पूर्वित) के मामले में यह तर्क दिया कि खनन पट्टे के मामले में लागू सुसंगत नियमों को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था और याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया गया था, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया गया कि 1960 के नियमों के नियम 26 (1) के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था, जो पूरी तरह से लागू नहीं था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि उपरोक्त दोनों रिट याचिकाओं के आदेशों को उदाहरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है। पूर्व उदाहरण के तौर पर, क्योंकि उन मामलों में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था कि चूंकि वर्तमान मामले 1996 के नियमों के तहत खनन पट्टा देने के हैं, इसलिए उस नियम के प्रावधान लागू होंगे और 1960 के नियमों में निहित प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तब तर्क दिया कि 1996 के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें प्राधिकरण को नवीनीकरण के आवेदन पर आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता हो। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का पट्टा पहले कलेक्टर द्वारा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने अपने स्वतः पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग करते हुए और दिनांक 14.5.2001 के आदेश (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से नियमों में ढील देते हुए, याचिकाकर्ता ने खनन गतिविधि की अनुमति दी, लेकिन दो महत्वपूर्ण शर्तों के

अधीन। पहली शर्त यह थी कि पट्टे का नवीनीकरण नहीं होगा और नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं होगा, और दूसरी शर्त यह थी कि पट्टा केवल 31 दिसंबर, 2005 तक ही वैध रहेगा। इसके बाद, अनुलग्नक पी-5 के माध्यम से एक पूरक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया और याचिकाकर्ता ने 31 दिसंबर, 2005 तक पट्टे की निरंतरता का लाभ प्राप्त करने के लिए उन शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। दिनांक 14.5.2001 के आदेश की शर्तों को स्वीकार करने और पट्टे का लाभ उठाने के बाद, याचिकाकर्ता को पूरी तरह से पता था कि उसे नवीनीकरण का कोई अधिकार नहीं है और विशेष मामलों के रूप में, पट्टे को 31 दिसंबर, 2005 तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे अपने पट्टे के नवीनीकरण के लिए विचार करने का कोई अधिकार नहीं है और नवीनीकरण के लिए आवेदन पूरी तरह से गलत था। इसलिए, कलेक्टर ने आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पट्टा नवीनीकरण को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कोई वैधानिक बाध्यता न होने के कारण, याचिकाकर्ता के आवेदन की अस्वीकृति को केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, विशेष रूप से तब जब राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांक 14.5.2001 के आदेश (अनुलग्नक पी-4) और पूरक पट्टा (अनुलग्नक पी-5) के मद्देनजर यह एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था और कलेक्टर स्तर पर इस मामले में कोई अन्य राय संभव नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 26.3.2007 की निरीक्षण प्रतिवेदन (अनुलग्नक आर-4) स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्राकृतिक असंतुलन है और गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अंत में यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता 1996 के नियमों के नियम 5 (2) (घ) में निहित सांविधिक निषेध के मद्देनजर पट्टा प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि पट्टा क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र में स्थित है और याचिकाकर्ता को दिनांक14.5.2001 के छूट आदेश के आधार पर 31 दिसंबर, 2005 तक खनन गतिविधि जारी रखने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा कोई छूट न दिए जाने के कारण, याचिकाकर्ता अपने पट्टे के नवीनीकरण का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है क्योंकि नवीनीकरण सांविधिक प्रावधान का उल्लंघन होगा।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

9. याचिकाकर्ता को चूना पत्थर के संबंध में खनन पट्टा दिया गया था और पट्टा विलेख याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रपत्र-VII में निष्पादित किया गया था, जो 1996 के नियमों के तहत सांविधिक रूप से निर्धारित है। उत्खनन पट्टा याचिकाकर्ता को दिया गया एक सांविधिक पट्टा था। 1996 के नियमों के तहत, जो पट्टा विलेख (अनुलग्नक पी-3) की धाराओं को पढ़ने मात्र से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने स्वयं कहा है, और इस पर कोई विवाद नहीं है, कि अतीत में, महासमुंद जिले के घोधारी, बरबासपुर और मुडेना में स्थित 18 पट्टों को 1996 के नियमों के नियम 5 (2) (घ) का उल्लंघन पाया गया था, जिसके आधार पर कलेक्टर ने पट्टा निरस्त कर दिया था। यह बात 14 मई, 2001 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी-4) से स्पष्ट होती है। उस आदेश से यह भी पता चलता है कि राज्य सरकार ने कुछ मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, 1996 के नियमों के नियम 58 के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, 1996 के नियमों के नियम 66 के तहत अपनी छूट की शक्ति का प्रयोग करते हुए उन 18 पट्टों के मामलों में नियम में ढील दी, जिनमें याचिकाकर्ता का मामला भी शामिल था। इसके अलावा, इस प्रकार की छूट दिए जाने पर पट्टे की शर्तें और नियम बहुत स्पष्ट और असंदिग्ध थे। खंड 2 में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि पट्टा लंबी अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है, तो इसे केवल 31 दिसंबर, 2005 तक ही बढ़ाया जाएगा।

10. दिनांक 14 मई, 2001 का उपरोक्त आदेश (अनुलग्नक पी-4) उन सभी पट्टों के लिए राहत लेकर आया जिन्हें कलेक्टर ने पहले निरस्त कर दिया था, जिसमें संयोगवश याचिकाकर्ता का मामला भी शामिल था। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के दिनांक 14.5.2001 के आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया और दिनांक 31.12.2005 तक पूरक पट्टा स्वीकार कर लिया, हालांकि इसमें नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। यह अनुलग्नक पी-5 से स्पष्ट है। इस प्रकार पूरक पट्टा निष्पादित किया गया। याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया गया और याचिकाकर्ता ने दिनांक 7.6.2001 को दिए गए उक्त पट्टे का 31 दिसंबर, 2005 तक लाभ उठाया। जैसा कि स्पष्ट है, याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.5.2001 के आदेश को चुनौती नहीं दी, क्योंकि जिस तारीख को यह पारित हुआ था, उस दिन यह याचिकाकर्ता के हित में था। इसलिए, राज्य सरकार के आदेश को स्वीकार करने और 31.12.2005 की अवधि के लिए चूना पत्थर के खनन हेतु पूरक पट्टा प्राप्त करने के बाद, जिसमें यह शर्त थी कि नवीनीकरण की अनुमति नहीं होगी, याचिकाकर्ता का 31.12.2005 के बाद पट्टे के नवीनीकरण का कोई दावा नहीं बनता है। न तो पट्टे की शर्तों में और न ही 1996 के नियमों में निहित किसी प्रावधान में सक्षम प्राधिकारी पर खनन पट्टे के नवीनीकरण के आवेदन पर आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने का कोई सांविधिक दायित्व डाला गया है। इस संदर्भ में, 1996 के नियमों के नियम 17, 18 और 19 में निहित प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

*“**17. उत्खनन पट्टे का नवीनीकरण** – उत्खनन पट्टे के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन –पत्र उस तारीख से जिस पर ऐसे पट्टे का अवसान होना हो कम कसे कमएक वर्ष पूर्व प्रतुत किया जायेगा |*

__18. उत्खनन पट्टे का प्रदाय करने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन –पत्रों का निपटारा__ – (1) उत्खनन पट्टे को प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन –पत्र प्राप्त होने पर उसके विवरण सर्वप्रथम संबंध जिले कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत और संबंध जिले के जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु पारीचालित किया जायेगा |

(2) मंजूरी प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, उत्खनन पट्टा प्रदान करने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर/नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र में पूर्व में स्वीकृत उत्खनन पट्टा की अवधि समाप्ति के पूर्व उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकेगा, नवीकरण कर सकेगा या उसे मंजूर करने से इंकार कर सकेगा अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त हुआ समझा जाएगा :

[3] उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु समस्त लंबित आवेदन-पत्र आते हैं, जिनमें करार निष्पादित न हुआ हो, मंजूरी प्राधिकारी द्वारा इन्कार किये गये समझे जायेंगे | इस निमित्त आवेदन-पत्र इन नियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किये जा सकेंगे |

__19. इंकार किये जाने के कारणों का अभिलिखित किया जाना.__- (1) जहां मंजूरी प्राधिकारी उत्खनन पट्टे को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने के लिए इंकार करने के बारे में कोई आदेश पारित करता है वहां वह ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध ऐसा आदेश पारित किया जाता है, लिखित में ऐसे आदेश के कारणों की संसूचना देगा |

(2) जहां यह प्रतीत होता है कि आवेदन-पत्र समस्त सारवान विवरणों के संबंध में पूर्ण नहीं है या अपेक्षित दस्तावेज उसमें संलग्न नहीं है | वहां कलेक्टर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी रजिस्ट्रीकृत डाक से एक लिखित सूचना तामील कर, आवेदक को कमियों की पूर्ति करने या यथास्थिति दस्तावेज, उस सूचना के संसूचना की तिथि से 30 (तीस) दिन के पूर्व न कि उसके पश्चात् प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा | उत्खनन पट्टे के मंजूर किये जाने या उसके नवीकरण हेतु नियम 9 के अधीन आवेदन-पत्र मंजूरी प्राधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जावेगा कि आवेदन समस्त विवरणों का बारे में पूर्ण नहीं है या उससे दस्तावेज संलग्न हैं |”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पट्टा नवीनीकरण हेतु याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान करने का प्राधिकारी पर कोई सांविधिक दायित्व नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, निष्कर्ष पहले ही निकाला जा चुका है, क्योंकि याचिकाकर्ता खनन गतिविधि का संचालन केवल राज्य सरकार के समर्थन से ही जारी रखा था । दिनांक 14.5.2001 के आदेश (अनुलग्नक पी-4) और पूरक पट्टा अनुलग्नक पी-5 के माध्यम से उन्हें प्रदान किया गया। वह पृष्ठभूमि जिसमें पूरक पट्टा याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया था और पट्टे की शर्तों और नियमों को राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के साथ पढ़ा जाए। दिनांक 14.5.2001 के आदेश से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि पट्टा इसका नवीनीकरण 31.12.2005 के बाद नहीं किया जा सकता था। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता को एक ऐसे क्षेत्र में खनन गतिविधि की अनुमति दी गई थी, जो अन्यथा नियमों के नियम 5 (2) (घ) के अनुसार निषिद्ध है। 1996 में, केवल कुछ मामलों में दी गई छूट के कारण राज्य सरकार ने अपने दिनांक 14.5.2001 के आदेश के माध्यम से, जिस हद तक और जिस प्रकार से उस आदेश में बताए गए तरीके से। सांविधिक शक्ति का प्रयोग करते हुए 1996 के नियमों के नियम 66 के तहत दी गई छूट के संबंध में, राज्य सरकार ने उत्खनन की अनुमति देने के लिए प्रतिबंध में ढील देने का प्रयास किया। यह गतिविधि केवल 31.12.2005 तक ही मान्य है। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद, कोई भी गतिविधि कलेक्टर द्वारा प्रदान/नवीनीकरण इसके विपरीत होगा। नियमों के नियम 5 (2) (घ) में निहित सांविधिक निषेध 1996. इसलिए, यह केवल राज्य की शक्ति के दायरे में था। प्रावधानों की सख्ती को और कम किया जाए और उन्हें आगे जारी रखने की अनुमति दी जाए। और यह कलेक्टर के हाथ में नहीं है। इसके आधार पर उपर्युक्त विधिक स्थिति, नियमों के तहत प्राप्त स्थिति के अनुसार, क्षेत्र और स्वीकृत तथ्यों के आधार पर मामले में लागू होने वाला आदेश कलेक्टर और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को केवल इस आधार पर प्रश्न उठाया गया कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार, यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि सांविधिक दायित्व के अभाव में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार नवीनीकरण के आवेदन को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है, तो भी यह निरर्थक सिद्धांत को लागू करने का एक उपयुक्त मामला है, इसे पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष का मामला मानते हुए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य बनाम मंसूर अली खान, (2000) 7 उच्चतम न्यायालय केस 529 के मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को लागू किया है कि जहां स्वीकृत या निर्विवाद तथ्यों पर या जहां केवल एक ही दृष्टिकोण संभव है, वहां केवल इस आधार पर कोई अनुतोष प्रदत्त नहीं किया जा सकता क्योंकि सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर राज्य और अन्य बनाम वाई. टोकन सिंह और अन्य, 2007 AIR SCW 1995 के मामले में, या अभीनिर्धारित किया है कि जहां तथ्य स्वीकार किए जाते हैं, वहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर तब जब इससे कोई लाभ न हो। इसके अलावा, **केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य बनाम अजय कुमार दास और अन्य, (2002) 4 SCC 503** के मामले में दिए गए निर्णय पर अवलंब लेते हुए, यह अवधारित किया गया कि यदि नियुक्ति आदेश अमान्य हैं, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन का प्रश्न ही नहीं उठता।

13. अतः, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों में प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, मेरा यह मत है कि नवीकरण के आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के

आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अनुलग्नक पी-9 के रूप में सामूहिक रूप से प्रस्तुत विभिन्न पत्रों को देखते हुए पारिस्थितिक असंतुलन का कोई खतरा नहीं है और पट्टा देना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा। मैं इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि पहली बात तो यह है कि पट्टा याचिकाकर्ता को केवल 31.12.2005 तक ही दिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.5.2001 के आदेश में विचार किए जाने के मद्देनजर इसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, और दूसरी बात यह है कि इन सामग्रियों को राज्य सरकार को 1996 के नियमों के नियम 66 के तहत छूट देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए आदेश जारी करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। । अतः, 31.12.2005 के बाद की अवधि के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है, कोई भी पट्टा प्रदान या नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है, जो 1996 के नियमों के नियम 5 (2) (घ) में निहित सांविधिक निषेध का उल्लंघन करता हो, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नदी के किनारों, नाले (छोटे जलमार्ग), नहर या किसी भी प्राकृतिक जलमार्ग, बांधों या किसी भी जल संग्रहण संरचना से 50 मीटर की दूरी के भीतर की भूमि के संबंध में खनिज रेत या बजरी को छोड़कर किसी भी क्षेत्र के लिए कोई भी उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञा प्रदान नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.5.2001 के पत्र (अनुलग्नक पी-4) की सामग्री पर विवाद नहीं किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कलेक्टर द्वारा 1996 के नियमों के नियम 5 (2) (घ) के उल्लंघन के आधार पर याचिकाकर्ता सहित 18 पट्टे निरस्त कर दिए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. भेदभाव से संबंधित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की अगली तर्क को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक समानता को अवैधता को कायम रखने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय को यह समझाने का प्रयास किया कि जब राज्य सरकार ने दिनांक14.5.2001 के अपने आदेश (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से 31.12.2005 तक खनन गतिविधि की अनुमति देने के लिए नियमों की कठोरता में ढील देने का निर्णय लिया था, तो यह निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, जो आज भी मौजूद हैं। इसलिए, राज्य ने खनन गतिविधि की अनुमति देने के लिए नियमों में और ढील न देकर मनमाना कार्य किया है, विशेष रूप से तब जब अनुलग्नक पी-9 में सामूहिक रूप से प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनो, सिफारिशों और दस्तावेजों से पता चलता है कि महासमुद नदी के किनारों को किसी प्रकार का खतरा या कटाव पहुंचाए बिना और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उत्खनन पट्टा अभी भी दिया जा सकता है। मेरे विचार से यह राज्य सरकार द्वारा विचार किए जाने वाला विषय है, न कि न्यायालय का, कि वह राज्य को यह निर्देश दे कि किन मामलों में और किस हद तक उसे अपनी छूट देने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की छूट देने की शक्ति मूलतः राज्य की शक्ति के दायरे में आती है और इस न्यायालय द्वारा इसकी सराहना नहीं की जा सकती।

16. रामाश्रय यादव और सरिता बाफना *(पूर्वित)* के उपर्युक्त दो मामलों में, यह तर्क दिया गया था कि 1960 के नियमों के नियम 26 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार या नामंजूर करने से पहले न्यायालय ने उन ममलों में सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक समझा जिसमें न्यायालय ने उचित समझा। दुर्भाग्यवश, इस न्यायालय के संज्ञान में यह बात नहीं लाई गई कि उन मामलों में जिन 1960 के नियमों का हवाला दिया गया था, वे नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होते, क्योंकि वे मामले और याचिकाकर्ता का

मामला स्पष्ट रूप से तत्कालीन मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 (अब छ.ग. गौण खनिज नियम 1996) के तहत उत्खनन पट्टा प्रदान करने के मामले हैं। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया पट्टा, जिसे अनुलग्नक पी-3 के रूप में अभिलेख पर रखा गया है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह 1996 के नियमों के तहत गौण खनिजों के संबंध में दिया गया उत्खनन पट्टा था, न कि खनिज रियायत नियम 1966 के तहत प्रमुख खनिजों के संबंध में दिया गया खनन पट्टा, ताकि 1960 के नियमों के नियम 26 (1) में निहित प्रावधान लागू हो सके। उन मामलों में पारित आदेशों से यह स्पष्ट नहीं होता कि राज्य ने इस मामले का विरोध करने का प्रयास किया था। इसलिए, न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष 1960 के नियमों के नियम 26 की प्रयोज्यता के संबंध में एक धारणा पर आधारित था, क्योंकि न्यायालय के संज्ञान में यह नहीं लाया गया था कि 1960 के नियम लागू होंगे।

17. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता और **रामाश्रय यादव एवं सरिता बाफना** (*पूर्वित*) के मामलों में रिट याचिकाकर्ताओं को भी चूना पत्थर के संबंध में उत्खनन पट्टा दिया गया था और कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्ता के पट्टे को निरस्त करने के साथ ही उनके पट्टे भी निरस्त कर दिए गए थे, जैसा कि दिनांक 14.5.2001 के आदेश (अनुलग्नक पी-4) में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। हालांकि, उन मामलों में भी, याचिकाकर्ता के मामले की तरह ही पट्टा नवीनीकृत किया गया था और उन पर भी यही शर्त लागू थी कि पट्टा केवल 31.12.2005 तक ही वैध रहेगा और पट्टे का नवीनीकरण नहीं होगा। हालांकि, मामले के विभिन्न सुसंगत पहलुओं, विशेष रूप से 1996 के नियमों के नियम 5 (2) (घ) में निहित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर पट्टा देने पर सांविधिक निषेध, को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया और याचिका केवल 1960 के नियमों के नियम 26 के अनुसार सुनवाई का अवसर न दिए जाने पर आधारित थी, जो ऊपर बताए गए तथ्यों के मद्देनजर, उत्खनन पट्टे के मामले में लागू नहीं होता है। मेरी राय में, 1960 के नियमों का नियम 26 लागू नहीं होता है और नवीनीकरण से संबंधित प्रावधान, जो 1996 के नियमों के नियम 17, 18 और 19 में निहित हैं, ही लागू होते हैं। इसके अलावा, जिस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता को 31.12.2005 तक पट्टा इस विशिष्ट शर्त के साथ दिया गया था कि नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन गलत था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. परिणामस्वरूप, मुझे याचिका में कोई सार नहीं दिखती। याचिका खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

सही/-
मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Adv. Abhishek Kumar Rai.